

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा

पत्रांक: वे0प्र0/21541-44 / 2020-21

दिनांक: 25.03.2021

प्रबन्धक,

देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला

जनपद अमरोहा।

इस कार्यालय के पत्रांक वे0(2)/17653-56/2019-20 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के क्रम में आपके विद्यालय को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता प्रदान की गई थी, आपके द्वारा दिनांक 12.12.2020 को विद्यालय की स्थाई मान्यता/नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है।

शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर IV में व्यवस्था दी गई है कि "निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।"

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी गजरौला की संस्तुति तथा जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 25.03.2021 में लिये गये निर्णय के आधार पर एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की शर्तें पूर्ण करने के कारण विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है तथा आपको आदेशित किया जाता है कि कार्यालय के पत्रांक वे0(2)/17653-56/2019-20 दिनांक 19.03.2020 में दिये गये निर्देशों एवं समय समय पर निर्गत किये जाने वाले मान्यता सम्बन्धी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि आपके द्वारा मान्यता के नवीनीकरण/स्थायीकरण के सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाया हुआ या गलत पाया जाता है तथा दिभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण तथा अन्य विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

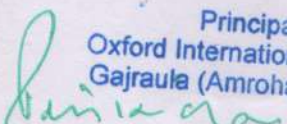

(चन्द्रशेखर)

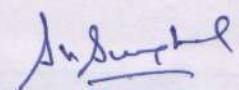
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमरोहा

पत्रांक - वे0प्र0/ — / 2020-21 दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अध्यक्ष, जिला मान्यता समिति।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), जनपद अमरोहा।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. कार्यालय गठित पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमरोहा


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

D:\Avneesh\Notice Manyta

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अमरोहा

पत्रांक: वे0प्र0/21072-75 / 2020-21 दिनांक : 10.03.2021

प्रबन्धक,

देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला

जनपद अमरोहा।

इस कार्यालय के पत्रांक वे0(2)/17765-69/2019-20 दिनांक 20.03.2020 के द्वारा शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लनखऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के क्रम में आपके विद्यालय को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनन्तिम मान्यता प्रदान की गई थी, आपके द्वारा दिनांक 12.12.2020 को विद्यालय की स्थाई मान्यता/नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है।

शासनादेश सं0 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लनखऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्रस्तर IV में व्यवस्था दी गई है कि "निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।"

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी गजरौला की संस्तुति तथा मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16.03.2021 में लिये गये निर्णय के आधार पर एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लनखऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की शर्तें पूर्ण करने के कारण विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है तथा आपको आदेशित किया जाता है कि कार्यालय के पत्रांक वे0(2)/17765-69/2019-20 दिनांक 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों एवं समय समय पर निर्गत किये जाने वाले मान्यता सम्बन्धी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि आपके द्वारा मान्यता के नवीनीकरण/स्थायीकरण के सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाया हुआ या गलत पाया जाता है तथा विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण तथा अन्य विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(चन्द्रशेखर)

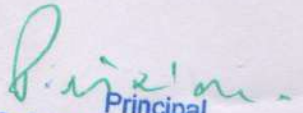
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमरोहा

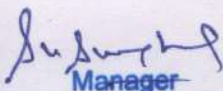
पत्रांक - वे0प्र0/ / 2020-21 दिनांक-तः

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अध्यक्ष मण्डलीय मान्यता समिति/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), जनपद अमरोहा।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-अमरोहा।
4. कार्यालय गठित पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अमरोहा


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

D:\Avneesh\Notice Manyta

To

Joint Secretary
Affiliation Department
Central Board of Secondary Education
New Delhi

Letter NO: CBSE / 7549 / 2023-24 / Dated: 06 Nov 2023

Subject: - Recommendation for Name change from Delhi Public School, Gajraula to Oxford International School, Gajraula.

Dear Sir,

With reference to application and unanimous Resolution passed by Trustees of Krypton Progressive Educational & Health Care Trust Moradabad regarding name change of Delhi Public School, Gajraula to Oxford International School, Gajraula. I have no objection and recommend for its name change from Delhi Public School, Gajraula to Oxford International School, Gajraula.

Regards

amr
05/11/2023
District Inspector of Schools
(Amroha, U.P.)
अमरोहा

Principal

Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

Manager

Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

श्रेष्ठक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन0ओ0सी0/

/2020-21

दिनांक: 20/07/2020

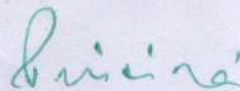
विषय: देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

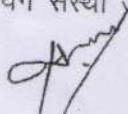
महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूचित है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 08.07.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्हीं मदों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 8- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

Letters-2


Principal
Oxford International School
(Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

- 10- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 11- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता समबद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 12- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

विद्यालय द्वारा अग्निशमन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कराने के उपरान्त ही सम्बद्धता जारी की जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

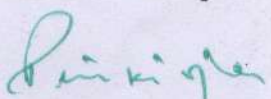
(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

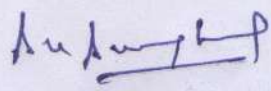
पृ0सं0: एन0ओ0सी0 / 11 30-34 / 2020-21 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, अमरोहा।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अमरोहा।
- 4- प्रबन्धक, देहली पब्लिक स्कूल, गजरौला, अमरोहा।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

**RIGHT TO EDUCATION
SCHOOL REGISTRATION DETAIL**

SCHOOL REGISTRATION DETAIL

1. UDISE CODE:	9061707403	2. RURAL / URBAN:	RURAL
3. SCHOOL NAME:	OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL GAJRAULA		
4. SCHOOL TYPE:	PRIVATE-UNAIDED	5. ENTRY CLASS:	CLASS1
6. RTE SEAT:			4
7. TOTAL ENROLMENT IN CLASS1(PREVIOUS YEAR):			16
8. RTE SEAT ALLOTTED IN PREVIOUS YEAR:			0
9. DISTRICT:	AMROHA	10. BLOCK / TOWN:	गजरौला
11. GRAMPANCHAYAT/WARD:	तिगरिया खादर	12. SCHOOL EMAILID:	OISGAJRAULA@GMAIL.COM
13. SCHOOL ADDRESS:	NH 24 OPP US FOODS GAJRAULA AMROHA TIGARIYA KHADAR NH 24 OPP US FOODS GAJRAULA AMROHA TIGARIYA KHADAR OPP US FOODS FACTORY		
14. BOARD:	CBSE BOARD	15. AFFILIATION:	MADHYAMIC
16. NAME OF PRINCIPAL:	PINKI OJHA	17. MOBILE NO:	9412241710
18. SCHOOL ENTRY TYPE:	EXISTING SCHOOL		

Fresh admissions (Total new admissions in A.Y 2020-21 including children admitted under RTE 12.1.(C). (self-declaration))

19. LEVEL 3:	6	20. LEVEL 2:	0
21. LEVEL 1:	18	22. CLASS 1:	32

Fresh admissions (Total new admissions in A.Y 2021-22 including children admitted under RTE 12.1.(C). (self-declaration))

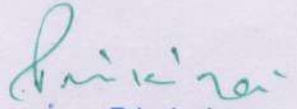
23. LEVEL 3:	10	24. LEVEL 2:	0
25. LEVEL 1:	15	26. CLASS 1:	38

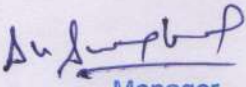
NODAL DETAIL

27. NODAL EMAIL ID:	OISGAJRAULA@GMAIL.COM	28. NODAL MOB NO:	9412241710
29. NODAL NAME:	PINKI OJHA	30. UPLOADED DOCUMENT:	VIEW

BANK DETAIL

31. BANK NAME:	UNION BANK OF INDIA	32. IFSC CODE:	UBIN0911828
33. ACCOUNT NO:	118222010001381	34. ACCOUNT TYPE:	SAVING


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235


Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

The Manager,
OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL
AMROHA-244235 ,JYOTIBA PHULE NAGAR
UTTAR PRADESH,AMROHA, 244235
(M:)

SUBJECT:REQUEST FOR CHANGE OF NAME OF THE SCHOOL FROM DELHI PUBLIC SCHOOL TO OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL REG.

Sir/Madam,

This is with reference to school application No.-CN-00022-2526 dt. on the subject cited above.

In this connection, I am directed to convey approval of the Board for change in schools name as per the details mentioned below on the basis of permission granted by the State Education Department and supporting documents submitted by the school.

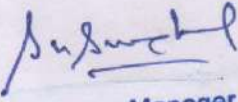
Category	From	To
Change of name of school	DELHI PUBLIC SCHOOL	OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL

Sl. No.	GENERAL CONDITIONS
2.	Compliance of the points no. 1 to 2 may be submitted within 03 months on the SARAS Portal, failing which due action will be taken.
Sl. No.	CONDITIONS FOR COMPLIANCE
1	(1) The application No.CN-00022-2526 for change in school name is being considered subject to the condition mentioned in the letter No.628/15-7-2024 Lucknow dated: 19.06.2024 issued by the deptt of secondary education(Section-7) Uttar Pradesh Civil Secretariat, Lucknow & final decision of the Hon'ble High Court of Delhi in the Writ Petition No.CS(COMM) 559/2022, I.A. 12865/2022, I.A.15740/2022 & 14093/2023.
2	(2) The school authority must ensure that all the updated Mandatory Documents are uploaded on the Mandatory Public Disclosure Section of the school website strictly as per Appendix-IX(SARAS 5.0 Manual).

The above approval will be subjected to following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school is required to renew Building Safety and Fire Safety certificates on regular basis.
3. The school will not run any branch or part of school with old school name and will not use its old school name in any manner in future.
4. In case of land documents are presently in the old name of school, the school will be required to submit revised land documents in favor of revised name of school/society/trust/company within one month.
5. The approval is subject to final outcome of pending legal case/ litigation and any other issues arising out of change of name of school and Board shall not be responsible for any dispute/legal issue arising out of change of name of school.


Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

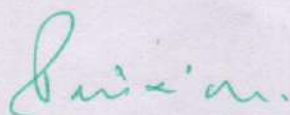

Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235

6. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

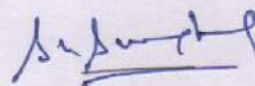
The school should change all the records and letter heads accordingly. All concerned are requested to note above accordingly.

"The school shall possess valid Fire Safety certificate, Building safety certificate and Water and Sanitation Certificate alongwith other essential documents during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)



Principal
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235



Manager
Oxford International School
Gajraula (Amroha) 244235